FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0196 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/08/2025 12:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 31/07/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:40 बजे **Time To (समय तक):** 14:22 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/08/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/08/2025 12:35:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** DUKAN ALEESHA CLOTH COMPLX, GANAPTI PLAZA TIJARA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JAMSHED KHAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): CHHOTU

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM MILKPURI,POST PAALPUR, TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM MILKPURI,POST PAALPUR, TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HIMANSHU GUPATA		पिता:AANAND PRAKESH	1. GRAM GOTHADA,TIJARA, खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA
2	SHOUKEEN		पिता:AASM	1. GRAM PALPUR,TIJARA, खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 28.07.2025 को समय करीब 12.00 पीएम पर परिवादी श्री जमशेद खॉन पुत्र श्री छोटू उम्र 42 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी ग्राम मिलकपुरी, पोस्ट पालपुर, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्स काल वार्ता कर बताया कि मैने सन् 2017 में प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत मकान हेतु मिलने वाली राशी के लिए मेरी ग्राम पंचायत पालपुर में प्रार्थना पत्र लगाया था जो मेरा सन् 2023 में पास हो गया था। मेरे उक्त मकान के निर्माण के लिए मुझे ग्राम पंचायत सैकेट्री द्धारा दो किस्त 15,000 रूपये व 45,000 रूपये की दिलवा दी गई और मैने मेरे मकान का निर्माण भी पूर्ण कर लिया। मेरी मकान की अब तीसरी किस्त करीब 60,000 रूपये की आई हुई है, लेकिन सैकेट्री हिमांशु गुप्ता ने मुझे उक्त किस्त दिलवाने के लिए मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै उसको मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी द्धारा बताये गये तथ्यों से मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राजवीर सिंह कानि0 के राजकार्य से जयपुर होने के कारण परिवादी को निर्देषित किया गया कि आप ब्यूरो कार्यालय भिवाडी पहुंच श्री झाबर सिंह हैड कानि0 को उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश करें व श्री झाबर सिंह हैड कानि0 को जरिये वाट्सअप काल अवगत करवाया कि कार्यालय में परिवादी श्री जमशेद खॉन के उपस्थित होने पर आप उनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाकर उसमें नया एसडी कार्ड लगाकर वाईस रिकॉर्डर श्री शहरून कानि0 को जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु रवाना करे एंव परिवादी द्धारा पेश प्रार्थना पत्र को कार्यालय की आलमारी में रखकर लॅाक लगावे तथा मेरे आने पर मुझे पेश करे। इसके बाद समय करीब 01.15 पीएम पर श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27 ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता कर अवगत करवाया कि परिवादी श्री जमशेद खॉन समय करीब 12.40 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आया, जिससे परिचय किया। इसके बाद परिवादी ने मुझे एक लिखित रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश की, जिसके अवलोकन से मामला रिश्वत के लेन देने का पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को कार्यालय की आलमारी में रखकर लॉक लगाया गया। इसके बाद समय करीब 1.10 पीएम पर कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मैक सोनी को निकलवाकर परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड सैनडिस्क 16 जीबी लगाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर व एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द श्री शहरून कानि0 175 को सुपुर्द किया जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय परिवादी को आरोपी के पास भिजवाने से पूर्व उक्त वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालूकर सुपर्द्द करने व परिवादी को मांग सत्यापन के समय अपने स्वंय व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने तथा बाद मांग सत्यापन डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय में लाकर पेश करने की हिदायत कर मांग सत्यापन हेतु परिवादी के द्धारा बताये गये स्थान संदिग्ध आरोपी के किराये के कमरे दुकान अलीशा क्लोथ कॉम्पलेक्ष तिजारा के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 04.00 पीएम पर परिवादी श्री जमशेद खॉन ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर[redacted] पर जरिये वाट्स काल वार्ता कर बताया कि मै और आपका कानि0 श्री शहरून आपके कार्यालय से रवाना होकर तिजारा आये। श्री शहरून ने मुझे वाईस रिकॉर्ड चालूकर दिया तो मै श्री हिमांशु गुप्ता सैकेट्री साहब के पास उनके किराये के कमरे दुकान अलीशा क्लोथ कॉम्पलेक्ष तिजारा में चला गया और शहरून बाहर ही रूक गया। मै श्री हिमांशु गुप्ता के पास गया तब वह मुझे अपने किराये के कमरे में काम करते हुये मिले, जिनको मैने नमस्कार कर अपनी प्रधानमन्त्री आवास योजना की तीसरी किस्त दिलवाने के लिए कहा तो उन्होने मुझे 10,000 रूपये रिश्वत के देने के लिए कहा और कहा कि पैसे दोगे तब ही आपकी किस्त डलेगी। मैने उनको कहा कि मै गरीब आदमी हूं कुछ कम करलो तो हमारे पास उपस्थित श्री शौकीन ने मुझे कहा कि 2,000 रूपये कम दे दो। तत्पश्चात श्री हिमांशु गुप्ता ने कम करते हुये मेरे से 7,000 रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मैने उनको दो-तीन दिन में व्यवस्था कर देने के लिए कहा तो उन्होने कहा ठीक है। मैने उनसे हुई सभी बातों को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया और उनके पास से रवाना होकर शहरून के पास आया तब शहरून ने वाईस रिकॉर्ड को बन्द कर अपने पास रख लिया। इसके बाद मैने उनको सैकेट्री व श्री शौकीन से हुई ये सभी बाते

बताई। आज मेरे घर पर काम है और सैकेट्री ने भी मुझे दो तीन दिन बाद बुलाया है मै आपके कार्यालय में दो तीन दिन बाद उपस्थित हो जाऊगा। इसके बाद कानि0 शहरून से वार्ता करवाई तो कानि0 ने परिवादी की बातों की ताईद की। इसके बाद कानि0 को परिवादी को दिये गये समय पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत देने व उसको वही छोडकर स्वंय को कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री झाबर सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द करने की हिदायत दी गई। इसके बाद समय करीब 04.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री झाबर सिंह हैड कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्स काल वार्ता कर हिदायत दी गई कि परिवादी से हुई वार्ता अनुसार मांग सत्यापन की कार्यवाही हो गई है आप श्री शहरून कानि0 के कार्यालय में उपस्थित होने पर उससे मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगावें व मन उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित होने पर पेश करे। तत्पश्चात समय करीब 05.30 पीएम पर श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27 ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता कर अवगत करवाया गया कि श्री शहरून कानि0 175 बाद मांग सत्यापन के कार्यालय में उपस्थित आया, जिससे मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द वापसी प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगाया गया। इसके बाद दिनांक 30.07.2025 को समय करीब 05.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य कर कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27 द्धारा परिवादी श्री जमशेद खॅान द्धारा कार्यवाही हेतु दिनांक 28.07.2025 को दिया गया लिखित प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर पेश किया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्धारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र का सरसरी तौर पर अवलोकन किया गया एंव मांग सत्यापन के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चालूकर सूना गया तो उसमें परिवादी द्धारा मन उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 28.07.2025 को जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बातो की ताईद होना व संदिग्ध आरोपीगण द्धारा परिवादी से 7,000 रूपये रिश्वत की माग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। प्रार्थना पत्र व वाईस रिकॉर्डर को वापिस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर ताला लगाया गया। तत्पश्चात कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने बाबत क्षेत्रीय अधिकारी रा0प्र0नि0म0 भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र जारी कर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 को हमराह देकर स्वतन्त्र गवाह को दिनांक 31.07.2025 को समय 8.00 एएम पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द करने के लिए उनके कार्यालय के लिए रवाना किया गया तो हैड कानि0 कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी रा0प्र0नि0म0 भिवाडी से दो स्वतन्त्र गवाह कार्यवाही हेतु दिनांक 31.07.2025 को समय 08.00 एएम के लिए पाबन्द कर कार्यालय में उपस्थित आया। इसके बाद दिनांक 31.07.2025 को समय 08.00 एएम पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाह कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी रा0प्र0नि0म0 भिवाडी से उपस्थित कार्यालय आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान से मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम संजय कुमार बैरवा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी तथा दूसरे ने अपना नाम अंकित वर्मा कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी रा0प्र0नि0म0 भिवाडी जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय करीब 09.00 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री जमशेद खॉन कार्यालय में उपस्थित आया जिससे मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः परिचय किया गया। तत्पश्चात परिवादी ने दिनांक 28.07.2025 को मांग सत्यापन के दौरान अपनी स्वंय व संदिग्ध आरोपीगण श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी (सैकेट्री) व श्री शौकीन के मध्य हुई वार्ता जो जरिये टेलिफोन दिनांक 28.07.2025 को मन उप अधीक्षक पुलिस को बताई गई थी के बारे में पुनः बताया जाकर संदिग्ध आरोपीगण द्धारा रिश्वत की मांग करने की ताईद की। इसके बाद परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 7,000 रूपये बाबत पूछा गया तो परिवादी ने अपने पास होना बताया। परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री जमशेद खॅान द्धारा कार्यवाही हेतु दिनांक 28.07.2025 को दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र को कार्यालय की आलमारी से निकालकर पुनः अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का पाया गया कि मैने सन् 2017 में प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत मकान हेतु मिलने वाली राशी के लिए मेरी ग्राम पंचायत पालपुर में प्रार्थना पत्र लगाया था, जो मेरा सन् 2023 में पास हो गया था। मेरे उक्त मकान के निर्माण के लिए मुझे ग्राम पंचायत सैकेट्री द्धारा दो किस्त 15,000 रूपये व 45,000 रूपये की दिलवा दी गई और मैने मेरे मकान का निर्माण भी पूर्ण कर लिया। मेरी मकान की अब तीसरी किस्त करीब 60,000 रूपये की आई हुई है, लेकिन सैकेट्री हिमांशु गुप्ता ने मुझे उक्त किस्त दिलवाने के लिए मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै उसको मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूं और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ । मेरी आरोपी से कोई रंजिश दुश्मनी व उधार का लेन देन बकाया नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी द्धारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद करते हुये संदिग्ध आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता से कोई रंजिश दुश्मनी व उधार का लेन देन बकाया नही होना तथा आरोपी द्धारा अपने प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कार्य पूर्ण करने पर उसकी तीसरी किस्त दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग करना ताईद किया।

परिवादी की लिखित रिपोट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन देन का पाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री संजय कुमार बैरवा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी व श्री अंकित वर्मा कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी रा0प्र0नि0म0 भिवाडी जिला खैरथल तिजारा का परिवादी श्री जमशेद खॅान से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्धारा दिनांक 28.07.2025 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपीगण श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पचायत पालपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा व श्री शौकीन प्राईवेट व्यक्ति के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 28.07.2025 को टेप किया गया था एंव जिसको दिनांक 30.07.2025 को चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटाप में स्पीकर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपीगण द्धारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री जमशेद खॅान द्धारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपीगण श्री हिमांशु गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी व श्री शौकीन की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री शहरून कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु दो खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर दोनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 16 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा बारी-बारी से दो पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से निकाली जाकर उक्त हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । दोनों पैनड्राईव को अलग- अलग प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का A-1 व A-2 अंकित किया जाकर मार्क A-1 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दूसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क A-2 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। इसके बाद समय करीब 12.15 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री संजय कुमार बैरवा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी व श्री अंकित वर्मा कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी रा0प्र0नि0म0 भिवाडी जिला खैरथल तिजारा के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री जमशेद खॉन को आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशी पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500/-रूपये के 14 नोट कुल 7,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये गये। जिनके नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार है । 1-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 1WH 661800 2-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 5MA 931192 3-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 2GG 511773 4-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 8FD 583136 5-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 0CH 419111 6-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 8TQ 215657 7-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 5VS 296214 8-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 3DG 506920 9-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 2VC 447083 10-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 5WK 342075 11-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 4UR 691736 12-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 2KV 940971 13-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 0VE 004649 14-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 0QT 775720 उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री निहाल सिंह कानि0 595 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाकर शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर एक साफ अखवार पर निकलवाकर 7,000/-रूपये के नम्बरी नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री जमशेद खॅान की जामा तलाशी गवाह श्री संजय कुमार बैरवा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी से लिवाई गई तो परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री निहाल सिंह कानि0 595 से फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त 7,000/-रूपये के नोटों को परिवादी श्री जमशेद खॅान की पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त कर कहां पर रखता है इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और आरोपी रिश्वत राशी प्राप्त करने के बाद कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर अपने मोबाईल फोन से कॉल/मिस कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करने बाबत बताया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि यथा सम्भव आप परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सूनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई।

इसके बाद श्री सतीश कुमार हैड कानि. से एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री संजय कुमार बैरवा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री निहाल सिंह कानि0 595 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को उसका ढक्कन बंद करवाकर श्री निहाल सिंह कानि0 595 से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में सतीश कुमार हैडकानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री निहाल सिंह कानि0 595 से गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार एवं पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सतीश कुमार हैडकानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, सतीश हैडकानि, एंव समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस द्धारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री जमशेद खॅान को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्यो तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री जमशेद खॅान को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर मय रिश्वती मांग सत्यापन के मेमौरी कार्ड लगे सहित चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल वाईस टेपरिकार्डर पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय रीब 01.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री साहिब सिंह एएसआई, कानि0 श्री राजबीर सिंह व परिवादी श्री जमशेद खॅान व गवाह श्री संजय कुमार बैरवा के एक प्राईवेट वाहन से व स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि न0 27, श्रीसतीश कुमार हैड कानि0 11, श्री रवि कुमार कानि0 352, श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 62 एंव स्वतन्त्र गवाह श्री अंकित वर्मा के सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से संदिग्ध आरोपी के किराये के कमरे तिजारा के लिए रवाना होकर समय करीब 02.00 पीएम पर संदिग्ध आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी के किराये के कमरे गणपति प्लाजा दुकान अलीशा क्लोथ कॉम्पलेक्श के नजदीक पहुंचा जहां पर वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा करवाया जाकर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान एंव स्टाफ सदस्यो को दोनों वाहनो से नीचें उतारकर श्री शहरून कानि0 से विभागीय वाईस रिकार्डर को चालू करवाकर परिवादी को दिलवाया जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास समय करीब 02.05 पीएम पर रवाना किया गया एंव बाकि समस्त स्टाफ सदस्य परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर उक्त गणपति प्लाजा कॉम्पलेक्ष के अन्दर अपनी-2 उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगे। तत्पश्चात समय 02.35 पी.एम. पर परिवादी श्री जमशेद खॉन पुत्र श्री छोटू उम्र 42 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मिलकपुरी, पोस्ट पालपुर, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा ने समय करीब 02.22 पी.एम. पर दुकान अलीशा क्लॉथ कॉम्पलेक्स तिजारा के मुख्य द्वार पर खडा होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने कब्जे में लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देशानुसार श्री हिमांशु गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी के पास उनके किराये के कमरे दुकान अलीशा क्लॉथ कॉम्पलेक्स के ऊपर तिजारा, जिसमें वह बैठकर कार्य करता है उस पर गया तो वह मुझे नही मिला। इस पर मैने दुकान अलीशा क्लॉथ कॉम्पलेक्स तिजारा पर काम करने वाले श्री शौकीन निवासी पालपुर से पूछा तो उसने बाहर जाना और कुछ समय बाद आना बताया। इस पर मै उस दुकान पर ही बैठ गया। इसके बाद श्री शौकीन ने अपने मोबाईल से श्री हिमांशु गुप्ता के मोबाईल पर वार्ता की एंव कुछ समय बाद श्री हिमांशु गुप्ता उक्त दुकान पर आया। जिसको मैने नमस्कार किया और फिर उनके द्धारा तय शुदा रिश्वत राशी बाबत कहा कि ये लो आप अपनी तय शुदा राशी 7,000/- रूपये और अब मेंरे मकान की किस्त डलवा दो। इस पर श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे से उक्त अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 7,000/- रूपये मेरे से अपने दाहिने हाथ मे प्राप्त कर बिना गिने ही दुकान के काउंटर की रैक में रख दिये। जो अभी भी रैक में ही रखे हुये है। इसके बाद मैने दुकान के

मुख्य द्वार पर आकर आपको नियत ईशारा अपने मोबाईल से मिस कॉल देकर कर दिया। इसके बाद परिवादी ने उक्त दुकान में बने काउंटर के पीछें खडे जींश की पेन्ट व शर्ट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी है जिन्होने मेरे से मेरे प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत निर्माण मकान की तीसरी किस्त दिलवाने के लिए अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 7,000/- रूपये अपने दाहिने हाथ मे प्राप्त कर बिना गिने ही दुकान के काउंटर की रैक में रखे है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हिमांशु गुप्ता पुत्र श्री आनन्द प्रकाश उम्र 27 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम गोठडा, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पालपुर पंचायत समिति तिजारा जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पश्चात् श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री जमशेद खॆान से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 28.07.2025 को 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्धारा कम करवाने पर 7,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 31.07.2025 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी से मांग कर प्राप्त की गई रिश्वती राशि 7,000/-रूपये बाबत पूछा गया की आपने उक्त राशी परिवादी से किस काम के लिऐ ली है और वह कहाँ है। इस पर आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि साहब श्री जमशेद खॆान दिनांक 28.07.2025 को मेरे पास आया था और मेरे से अपनी प्रधानमन्त्री आवास योजना में मकान के लिए मिलने वाली तीसरी किस्त दिलवाने के लिए बात की थी लेकिन मैने इनसे उस वक्त कोई रिश्वत की मांग नही की थी। इसके बाद यह आज मेरे पास दुकान अलीशा क्लॉथ कॉम्पलेक्स तिजारा जिसके ऊपर मै एक कमरा किराये पर लेकर राजकार्य करता हूं इस दुकान पर आया और मुझे दुकान के काउंटर पर अपने मकान की किस्त दिलवाने बाबत वार्ता कर 500-500 रूपये के कुछ नोट दिये जो मैने इससे अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दुकान पर बने काउंटर की रैक में रखे अखबार के ऊपर रख दिये जो अभी भी रैक में रखे अखबार के ऊपर ही रखे है। मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछने पर बताया कि साहब हिमांशु गुप्ता जी झूठ बोल रहे है जब मै इनके पास दिनांक 28.07.2025 को मांग सत्यापन के समय आया तो इन्होने मेरे से मेरी प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण की तीसरी किस्त दिलवाने के लिए 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग की और उस समय हमारे पास उपस्थित श्री शोकीन ने मुझे 2,000 रूपये कम देने के लिए कहा, फिर श्री हिमांशु गुप्ता जी ने मेरे द्धारा कम करवाने पर 7,000/- रूपये की मांग कर दो तीन दिन में देने के लिए कहा था। इसके बाद जब आज मै इनके पास आया तो इन्होने मेरे से अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 7,000/- रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दुकान अलीशा क्लॉथ कॉम्पलेक्स पर बने काउंटर की रैक में रखे अखबार के ऊपर रख दिये। इसके बाद आरोपी को परिवादी से ली गई रिश्वत राशी बाबत पुनः पूछा गया तो आरोपी कुछ नही बोला और चुपचाप खडा रहा। इसके बाद उक्त दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शौकीन पुत्र श्री आसम उम्र 31 साल जाति मेव निवासी ग्राम पालपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा होना एंव उक्त दुकान पर कार्य करना बताया। इसके बाद श्री शौकीन को आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी द्धारा श्री जमशेद खॆान से आज दिनांक 31.07.2025 को ली गई रिश्वत राशी 7,000 रूपये व मांग सत्यापन के समय दिनांक 28.07.2025 को परिवादी आरोपी व स्वंय के मध्य रूबरू हुई वार्ता जिसमें स्वंय द्धारा परिवादी को 2,000 रूपये कम देने बाबत कहने के बारे में पूछा गया तो श्री शौकीन ने बताया कि श्री जमशेद खॆान दिनांक 28.07.2025 को यहा आया था और श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी से अपने मकान की किस्त दिलवाने के बारे में बात की लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ने श्री जमशेद से 10,000 रूपये की मांग की। इस पर मैने श्री जमशेद को कहा था कि आप दो हजार रूपये कम दे देना। इसके बाद श्री जमशेद खॆान आज दिनांक को इस दुकान पर आया और मेरे से श्री हिमांशु गुप्ता के बारे में पूछा तो मैने इनको कहा कि वह बाहर गये है मै अभी उनको कॉल करके बुला देता हूं। इस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर उनको दुकान पर बुलाया तो वह कुछ समय बाद ही दुकान पर आया, जिस पर श्री जमशेद खॆान ने मेरे सामने ही अपनी किस्त के बारे में श्री हिमांशु गुप्ता जी से वार्ता की और फिर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब से कुछ रूपये निकालकर दिये जो हिमांशु गुप्ता ने अपने दाहिने हाथ में लेकर दुकान के काउंटर की रैक में रखे अखबार के उपर रख दिये और आपस में हम सभी वार्ता करने लगे। इतने में आप आ गये। मैने श्री जमशेद खॆान को श्री हिमांशु गुप्ता को कोई रिश्वत राशी नही दिलवाई और न ही हिमांशु गुप्ता द्धारा ली गई राशी से मेरा कोई लेना देना है। इस पर श्री शौकीन को पूछा गया कि यदि आपने श्री हिमांशु गुप्ता को परिवादी श्री जमशेद से कोई रिश्वत राशी नही दिलवाई तो श्री हिमांशु गुप्ता द्धारा परिवादी से रिश्वत राशी प्राप्त कर आपकी दुकान के काउंटर की रैक में रखने पर विरोध क्यो नही किया, तो श्री शौकीन कुछ नही बोला और चुप हो गया। शौकीन के उक्त कथन पर परिवादी श्री जमशेद खॆान से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशी लेन देन की शौकीन को पूर्ण जानकारी है, दिनांक 28.07.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन शौकीन द्धारा 2,000 रूपये रिश्वत राशी कम करवाई थी और आज भी इन्होने हिमांशु गुप्ता को अपने मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत राशी दिलवाई है। परिवादी के उक्त कथन व कार्यवाही से श्री शौकीन की आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी के साथ रिश्वत राशी लेन देन में पूर्णतया संलिप्तता होना पाई गई। इसके बाद आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता से पूछा तो बताया कि साहब मैने उक्त दुकान पर ही ऊपर का एक कमरा किराये पर ले रखा है। यह दुकान एवं

मेरे द्धारा द्वितीय मंजिल पर लिये गये कमरे के मालिक श्री नायब खॉन पुत्र श्री अब्दुल खान निवासी बालियाबास तहसील तिजारा है। मेरे द्धारा लिये गये कमरे पर बैठकर मैं राज कार्य करता हूँ इसलिए मै इस दुकान पर भी आता जाता रहता हूँ आज जब मै आया तो श्री जमशेद खॅान मुझे इस दुकान पर ही मिल गया और मुझसे अपने मकान की किस्त के पैसे दिलवाने के सम्बन्ध में वार्ता कर मुझे 500-500 रूपये के कुछ नोट दिये जो मैने इससे अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दुकान पर बने काउंटर की रैक में रखे अखबार के उपर रख दिये मेरे द्धारा श्री जमशेद खॉन से प्राप्त किये गये रूपयो के सम्बन्ध में श्री शौकीन को भी पूर्ण जानकारी है। तत्पश्चात् उक्त दुकान में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर गवाह श्री संजय कुमार बैरवा से दोनों गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे मौजूदगान ने देखकर गैदमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात गवाह श्री संजय कुमार बैरवा से दुकान अलीशा क्लॉथ कॉम्पलैक्स के काउंटर में बनी रैक में रखे अखबार जिस पर आरोपी द्धारा परिवादी से रिश्वत राशी प्राप्त कर रखी गई थी उक्त रिश्वत राशी को अखबार के ऊपर से उठवाकर दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा तो गवाह श्री संजय कुमार बैरवा ने अखबार के उपर से रिश्वत राशी उठाकर एंव फिर दोनों गवाहान ने नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000 रूपये होना एंव उक्त नोटो के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। जिनके नम्बर निम्नानुसार है 1-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 1WH 661800 2-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 5MA 931192 3-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 2GG 511773 4-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 8FD 583136 5-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 0CH 419111 6-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 8TQ 215657 7-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 5VS 296214 8-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 3DG 506920 9-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 2VC 447083 10-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 5WK 342075 11-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 4UR 691736 12-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 2KV 940971 13-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 0VE 004649 14-पॉच सौ रूपये का नोट नम्बर 0QT 775720 बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।तत्पश्चात पूर्व की भॉति गवाह श्री संजय कुमार बैरवा से एक अन्य प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में दुकान के काउंटर की रैक में रखे उक्त अखबार जिसके उपर आरोपी द्धारा परिवादी से रिश्वत राशी प्राप्त कर रखी गई थी एंव जिसके उपर से रिश्वत राशी बरामद की गई है उक्त अखबार के उस स्थान जिससे रिश्वत राशी रखी थी का एक रूई के फोवे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर अखबार के उस स्थान जहाँ रिश्वती राशी रखी हुई थी का रूई के फोवे से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी सम्बन्धित ने देखकर गदमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क D-1 व D-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद उक्त अखबार राजस्थान पत्रिका दिनांक 12.01.2025 व रूई के फोवे को अच्छी तरह सुखाकर अखबार पर लाल पेन का गोलाकर उसके अन्दर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर अखबार व रूई के फोवे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मौहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क D अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पष्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी व श्री शोकीन प्राईवेट व्यक्ति के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/पैनड्राईव तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की विभागीय कैमरे में नया एसडी कार्ड लगवाकर श्री राजवीर सिंह कानि0 से विडियोग्राफी करवाई गई। करवाई गई विडियोग्राफी के मेमौरी कार्ड जब्ती व तैयार पेनड्राईव की फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। परिवादी व आरोपीगण से आपसी रंजिश दुश्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो तीनों ने ही इंकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशी एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्षा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद फर्द हाथ धुलाई एंव बरामदगी रिश्वत राशी के समय डिजिटल कैमरे मे 32 जीबी मेमोरी कार्ड डालकर श्री राजवीर सिंह कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त डिजिटल कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया गया करवाई गई वीडियो ग्राफी के दो पेन ड्राईव 16 जीबी के बारी-

बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवायी जाकर प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः C-1, C-2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एंव पेन डाईव मार्क C-2 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मेमोरी कार्ड 16 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क M अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति तिजारा को आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी के सेवा विवरण व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति चाहने बाबत पत्र जारी किये गये तो उक्त पत्रों की पालना में अतिरिक्त विकास अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक द्धारा आरोपी का सेवा विवरण व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गई। परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर परिवादी के प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान की तीसरी किस्त पैण्डिंग होना पाया गया। दोनों आरोपीगण को उनके द्धारा किये गये जुर्म में गिरफतार करने से पूर्व गिरफतारी की सूचना का पत्र आरोपीगणों को जारी किये गये। दोनों आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफतार किया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री जमशेद खॅान के समक्ष वक्त रिश्वत लेन देन आरोपीगण श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी व श्री शौकीन प्राईवेट व्यक्ति एवं परिवादी श्री जमशेद खॅान के मध्य रूबरू हुई रिकार्ड वार्तालाप के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वार्ताओं को सुना जाकर श्री शहरून कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री जमशेद खॅान द्धारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपीगण श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी व श्री शौकीन प्राईवेट व्यक्ति की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री शहरून कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु दो खाली पैन ड्राईव सैनडिस्क अल्ट्रा हमराह लाये ट्रैप बॉक्स से निकलवाकर दोनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 16 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा बारी-बारी से दो पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई गई जिसका प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी-2 डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित दो पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का B-1 व B-2 अंकित किया जाकर मार्क B-1 को सील्ड मोहर कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दूसरे पैन ड्राईव मार्क B-2 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड शामिल पत्रावली किया गया । इसके बाद एसडी कार्ड को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में काम ली गई पीतल की नमूना सील को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद समय करीब 10.20 पीएम पर बाद सम्पन कार्यवाही परिवादी को उसकी सकूनत पर जाने के लिए रवाना कर समय करीब 10.25 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहानव ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री हिमांशु गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी एंव श्री शौकीन प्राईवेट व्यक्ति व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशी, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन व एक प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही दुकान अलीशा क्लोथ कॉम्पलेक्ष तिजारा से राजकीय अस्पताल भिवाडी में आरोपीगण का मेडिकल करवाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना फेज- kkk भिवाडी में बन्द हवालात करवाते हुये एसीबी कार्यालय भिवाडी मे उपस्थित आया। जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॅा व जब्त शुदा रिश्वती राशी नम्बरी 7000/-रूपये को श्री सतीश कुमार, हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता पुत्र श्री आनन्द प्रकाश उम्र 27 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम गोठडा, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पालपुर, पंचायत समिति तिजारा जिला खैरथल तिजारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये आरोपी श्री शौकीन पुत्र श्री आसम उम्र 31 साल जाति मेव निवासी ग्राम पालपुर, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा हाल प्राईवेट व्यक्ति से आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री जमशेद खॉन पुत्र श्री छोटू उम्र 42 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मिलकपुरी, पोस्ट पालपुर, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा से उसके द्धारा प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान की दो किस्त दी जाकर तीसरी किस्त देने की

एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 28.07.2025 को 10,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा फिर परिवादी द्धारा कम करवाने पर आरोपी श्री शौकीन प्राईवेट व्यक्ति द्धारा 2,000 रूपये कम देने के लिए कहना तत्पश्चात आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी द्धारा कम करते हुये 7,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा अपनी उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 31.07.2025 को आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी परिवादी को अपने किराये के कमरे दुकान अलीशा क्लोथ कॉम्पलेक्ष पर नही मिलने पर आरोपी श्री शौकीन प्राईवेट व्यक्ति द्धारा आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता को अपने मोबाईल से कॉल कर उक्त दुकान पर अपने पास बुलाना एंव आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी आरोपी श्री शौकीन प्राईवेट व्यक्ति के बुलाने पर उसके पास दुकान अलीशा क्लोथ कॉम्पलेक्ष पर आकर परिवादी से अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 7,000 रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर उक्त दुकान के काउटंर की रैक में रखे अखबार के उपर रख देना एंव रिश्वत राशी उक्त रैक में रखे अखबार के उपर से बरामद होना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी श्री हिमांशु गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पालपुर, पंचायत समिति तिजारा जिला खैरथल तिजारा का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस का एंव आरोपी श्री शौकीन पुत्र श्री आसम उम्र 31 साल जाति मेव निवासी ग्राम पालपुर, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा हाल प्राईवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाडी...........कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री हिमांशु गुप्ता पुत्र श्री आनन्द प्रकाश उम्र 27 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम गोठडा, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पालपुर, पंचायत समिति तिजारा जिला खैरथल तिजारा एवं 2- श्री शौकीन पुत्र श्री आसम उम्र 31 साल जाति मेव निवासी ग्राम पालपुर, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा हाल प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 24 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1111-14 दिनांक 02.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला अलवर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/08/2025 12:39:35

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Transgender	05/04/1998				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)